-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त को थाना पैलानी पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा एवं जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 09.09.2026 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाले एक व्यक्ति को रपटा केन नदी पैलानी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रेमनारायण पुत्र राजाभईया निवासी ग्राम खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 193/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्णप्रताप सिंह
2. हे0कां0 धीरेन्द्र सिंह